पत्रांक–03 / ना०सु०–22–43 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर पंचायत–देव में चैती छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न मूलभूत सुविधाएँ तथा विधि व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में विशेष स्वच्छता अनुदान मद से कुल राशि ₹10.00 लाख (दस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत–देव द्वारा चैती छठ महापर्व, 2026 के अवसर पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न मूलभूत सुविधाएँ तथा विधि व्यवस्था हेतु राशि की माँग नगर पंचायत–देव के पत्रांक–100, दिनांक–09.03.2026 की गई है।

2. उक्त के आलोक में नगर पंचायत–देव द्वारा चैती छठ महापर्व, 2026 के अवसर के अवसर पर छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएँ तथा विधि व्यवस्था हेतु अधियाचित राशि के अलोक में समीक्षोपरांत निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित नगर निकाय के सम्मुख स्तम्भ–7 के अनुरूप राशि ₹10.00 लाख (दस लाख रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति विशेष स्वच्छता अनुदान मद से निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	नगर निकाय का पत्रांक / दिनांक	पी०एल० खाता	HOA संख्या	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*
01	नगर पंचायत, देव	100 / 09.03.2026	ARDPLA009	00-8448-00-102-0003-00-01	54.00	10.00

3. उक्त स्वीकृत **राशि ₹10.00 लाख (दस लाख रू०) मात्र** के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निकाय के संबंधित PL खाता संख्या तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter*** *Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*

4. बिहार कोषागार सहित के नियम–286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496 / वि(2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–61, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत कुल राशि ₹10.00 लाख (दस लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष– 193– नगर पंचायतों– अनुसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष–0113– विशेष स्वच्छता अनुदान विपत्र कोड– 48-2217031930113, विषय शीर्ष 0113.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन से की जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/ना०सु०–22–43/2025 के पृष्ठ सं०–..15.........../टि० पर दिनांक–..02.04.26.......... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.......16............ /टि० पर दिनांक–..14.04.26........ को प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–22–43/2025 08 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–14/4/26

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत–देव/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।